

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-04022023-243453
SG-DL-E-04022023-243453असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 3, 2023/माघ 14, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 476
No. 46]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 3, 2023/MAGHA 14, 1944	[N. C. T. D. No. 476

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIशिक्षा निदेशालय
(समावेशी शिक्षा शाखा)
अधिसूचना
दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

सं. फा. 8/डी.डी.ई. (आई.ई.डी.एस.एस.) / प्रशा० सेल / 2018 /206.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 04/11/2010 को सं०फा० डी.ई.40(20)/09/आई.ई.डी.सी./306/ 373 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक) पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियमों में संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:- (i) इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक) भर्ती नियमावली 2022 कहा जाएगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि:-** उक्त पद की भर्ती पद्धति आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता:-** ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है. वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/है किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव:** इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (विशेष शिक्षा अध्यापक)			
2.	पदों की संख्या	1757 (2022) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।			
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित समूह 'ख'			
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	स्तर-7 अभियुक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400/- रुपये)			
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	चयन पद।			
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं। टीप:- आयु सीमा निर्धारण हेतु अंतिम तिथि डी. एस. एस. बी. द्वारा यथा विज्ञापित होगी। 6 (क) महत्वपूर्ण विवरण : लागू नहीं 6 (ख) शिथिलनीय विवरण : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय।			
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	अनिवार्य		वांछनीय	
		योग्यता	अनुभव	योग्यता	अनुभव
		1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक उपाधि। 2. बी0एड0 (विशेष शिक्षा); अथवा विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा सहित बी०एड० (सामान्य) ;	लागू नहीं		
				योग्यता मानक टीप	अनुभव मानक टीप
				लागू नहीं	लागू नहीं

		अथवा विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा सहित बी०एड० (सामान्य) ; अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक डिप्लोमा (पी०जी०पी०डी०) सहित बी० एड० (सामान्य); अथवा बी० एड० (विशेष शिक्षा) तथा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यवसायिक प्रमाण-पत्र (पी०जी०पी०सी०); अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मानसिक मंदता); अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (बहु दिव्यांगता) : शारीरिक एवं तंत्रिका संबंधी ; अथवा विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (गतिमान दुर्बलता एवं प्रमस्तिष्क पक्षाघात); अथवा दृष्टि दोष में सकैण्डरी स्तर अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम; अथवा बधिरों के अध्यापन में सीनीयर डिप्लोमा ; अथवा दृष्टि दोष में बी०ए बी० एड०; 3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सी. टी.ई.टी) (प्राथमिक स्तर) उत्तीर्ण की हो। केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में			
--	--	--	--	--	--

		आरक्षित वर्गों जैसे अनु० जाति / अनु० जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक छूट की अनुमति होगी। 4. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से पंजीकरण। टीप: 1 दृष्टि दोष में बीए० बी० एड० स्नातक तथा बी० एड० विशेष शिक्षा का एकीकृत पाठ्यक्रम होने के कारण दृष्टि दोष में बी०ए बी०एड० करने वाले उम्मीदवारों को अलग से स्नातक करना अपेक्षित नहीं है। टीप 2. एकल दिव्यांगता के क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अध्यापक को किसी सामान्य स्कूल में विविधता के व्यापक क्षेत्र में देखभाल हेतु चल रहे मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों द्वारा अन्य दिव्यांगता क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। टीप: 3. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।			
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	आयु –नहीं शैक्षणिक योग्यता- हाँ			
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष अभियुक्ति : सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए			
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	पद्धति	प्रतिशत		
		सीधी भर्ती	75		
		पदोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	25		

11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है।	पदोन्नति: ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 /- रुपये) में दिल्ली नगर निगम में विशेष अध्यापक (प्राथमिक)। टीप:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो इसमें जो भी कम हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। मानक टीप: लागू नहीं	
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	विभागीय पदोन्नति समिति 1. प्रधान सचिव / सचिव (शिक्षा) (सदस्य) 2. प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) (सदस्य) 3. विशेष सचिव / अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य) 4. टीप :डीपीसी की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठतम अधिकारी करेगा (सदस्य)।	विभागीय स्थायीकरण समिति 1. प्रधान सचिव / सचिव (शिक्षा) (सदस्य) 2. प्रधान सचिव / सचिव (श्रम) (सदस्य) 3. विशेष सचिव / अपर सचिव (टी.टी.ई.) (सदस्य) 4. टीप : डीसीसी की बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठतम अधिकारी करेगा (सदस्य)।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
शिंंगारे रामचन्द्र महादेव, पदेन संयुक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

(Inclusive Education Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2023

No. F. 8/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/2018/206.—In exercise of the Powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.27/59-Him(i) dated 13th July, 1959 and in supersession of the Notification of this Govt. no. F.DE 40(20)/09/IEDC/306/373 dated: 04/11/2010, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to amend following recruitment rules for the post of Trained Graduate Teacher (Special Education Teacher) in the Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement :-

(i) These rules may be called Directorate of Education, Trained Graduate Teacher (Special Education Teacher) Recruitment Rules 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and pay level in the Pay Matrix :- The number of the said post, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc :- The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith, shall be as specified in Columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications :- No person,

a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission for any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of post	Trained Graduate Teacher (Special Education Teacher)
2.	No of posts	1757 (2022)* Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group, B
4.	Pay Level in the Pay Matrix	7 Remark: Level-7 (Rs.44900 – 142400/-) in the pay matrix.
5.	Whether Selection post/ Non Selection Post	Selection Post
6.	Age Limits for Direct Recruits.	Not exceeding 30 years Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB. 6(a) Crucial description : NA 6(b) Relaxation description : Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government

7.	Educational and other Qualification required for direct recruits	Essential		Desirable	
		Qualification	Experience	Qualification	Experience
		1. Graduation Degree from a recognized University/ Institute. 2. B.Ed (Special Education); OR B.Ed (General) with one year Diploma in Special Education; OR B.Ed (General) with two years Diploma in Special Education; OR B.Ed (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGPD); OR B.Ed Special Education and Post graduate professional Certificate in Special Education (PGPC); OR PG Diploma in Special Education (Mental Retardation); OR PG Diploma in Special Education (Multiple Disability: Physical and Neurological). OR PG Diploma in Special Education (Locomotor impairment and Cerebral Palsy); OR Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment; OR Senior Diploma in Teaching the Deaf; OR BA B.Ed in Visual Impairment. 3. Qualified in Central Teacher Eligibility Test (CTET) (Elementary Stage) conducted by Central Board of Secondary Education (CBSE). Relaxation upto 5 percent in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH in CTET. 4. Registration with Rehabilitation Council of India (RCI). Note:1 BA B.Ed. in Visual Impairment being integrated course of graduation and B.Ed. Special Education, separate graduation is not required in the case of candidate	NA	----- Qualification Standard Note NA	----- Experience Standard Note NA

		possessing BA B.Ed. in Visual Impairment. Note:2 Teacher with qualification in single disability area will be encouraged to specialize in other disability areas by undergoing modular courses to take care of wide range of diversities in a General School. Note:3 Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
8.	Whether age & educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.	AGE : No Edu Qual : Yes			
9.	Period of probation if any	2 years Remark : for direct recruits			
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	Method		Percentage	
		Direct Recruitment		75	
		Promotion failing which direct recruitment		25	
11.	In case of recruitment by Prom/Dep./abs. grades from which prom/dep./abs to be made	PROMOTION : Special Educator (Primary) in Municipal Corporation of Delhi in the Level-6 (Rs35400 - 112400/-) of the Pay Matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Standard Note :NA			
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	<u>Departmental Promotion Committee</u> 1. Principal Secretary/ Secretary (Education) (member) 2. Principal Secretary/ Secretary (Labour) (member) 3. Special Secretary/ Addl. Secretary (TTE) (member) 4. Note : The senior most officer will chair the meeting of DPC (member)		<u>Departmental Confirmation Committee</u> 1. Principal Secretary/ Secretary (Education) (member) 2. Principal Secretary/ Secretary (Labour) (member) 3. Special Secretary / Addl. Secretary (TTE) (member)	

			4. Note : The senior most officer will chair the meeting of DCC (member)
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with the UPSC is not necessary	

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Ex-Officio Jt. Secy. (Education)